न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद संख्या :– 43/2019

वादीगण :–

1. ताराराम पुत्र राजूराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. मुल्तानसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति मार्ल निवासी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामनिवास पुत्र भागीरथ
2. सोहनदास पुत्र भागीरथ
3. मैना पुत्री भागीरथ
4. मीमा पुत्री भागीरथ
5. समदा पुत्री भागीरथ
6. श्रीमति छगनाई पत्नि भागीरथ जातियान साद निवासीगण रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वादीगण की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी

निर्णय **दिनांक :–** 30.09.2020

वकील वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि ग्राम रियॉ तहसील पीपाड़ शहर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 828 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आयी हुयी है। उक्त भूमि भागीरथ पुत्र परसराम जाति साद निवासी रियॉ तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की खातेदारी की थी। खातेदार भागीरथ ने दिनांक 21.02.2012 को खसरा नम्बर 828 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा में से 04 बीघा भूमि दक्षिण तरफ की जरिये बैचान वादी संख्या 1 व 2 को कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा का दस्तावेज दिनांक 21.02.2012 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 349 में पृष्ठ संख्या 194, क्रम संख्या 2012000737 पर उप पंजीयक बिलाड़ा में पंजीयन किया गया। वादी संख्या 1 व 2 के द्वारा जब से खसरा नम्बर 828 रकबा 04 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति भागीरथ पुत्र परसराम जाति साद निवासी रियॉ तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर से दिनांक 21.02.2012 को खरीद किया, तब से वादी संख्या 1 व 2 का कब्जा व काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी संख्या 1 व 2 ने बैचाननामा के जरिये म्यूटेशन स्वीकृति के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का को रजिस्ट्री की नकल दे दी गयी थी तथा वादी संख्या 1 व 2 इसी विश्वास में रहे कि म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण दादी संख्या 1 व 2 ने उपरोक्त खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 828 रकबा 04 बीघा के राजस्व रेकर्ड की ओर कभी ध्यान ही नही दिया है। अभी 05 दिन पहले वादीगण अपनी खरीदसुदा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने वादीगण को बताया कि आपका नाम हिस्से व बंट की भूमि में इस जमाबन्दी में नाम दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
पीपाड़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

नही है तो वादीगण को जानकारी हुयी कि बैचाननामा का म्यूटेशन ही स्वीकृत नही किया हुआ है। उपरोक्त खसरा नम्बर 828 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा में से 04 बीघा भूमि वादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति भागीरथ से दिनांक 21.02.2012 को रजिस्टर्ड बैचान से खरीद कर लिया था एवं वादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति भागीरथ को प्रतिफल को अदा किया है। इस कारण वादीगण सद्भावी खरीददार है तथा रेकर्डेड खातेदार भागीरथ पुत्र परसराम के हिस्से व बंटशुदा की खातेदारी भूमि को पूरी कीमत देकर जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के खरीद किया है तथा खरीदशुदा भूमि पर काबिज है। गलत एवं अवैध फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 3034 दिनांक 21.01.2019 से न तो किसी की खातेदारी समाप्त की जा सकती है तथा न ही गलत एवं अवैध नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को विवादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार ही प्राप्त हो सकते है। अतः वादीगण भूमि जरिये खरीद के आधार पर अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम रियॉ तहसील पीपाड़शहर के खसरा नम्बर 828 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा भूमि के खातेदार भागीरथ पुत्र परसराम जाति साद निवासी रियॉ तहसील पीपाड़शहर से उनकी खातेदारी भूमि में से 04 बीघा भूमि (यानि 0.6475 हेक्टैयर) को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 21.02.2012 को जरिये पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 349, पृष्ठ संख्या 194 के क्रम संख्या 2012000737 के आधार पर वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित किये जाने का आदेश फरमावे। अवैध नामान्तरकरण संख्या 3034 दिनांक 21.01.2019 को आंशिक निरस्त फरमाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 7 प्रफोर्मा पक्षकार होने के कारण जवाब की आवश्यकता नही रही। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 7 का जवाब बन्द किये जाने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र रेकर्ड पर लिये गये। वादी की ओर से पी.डब्ल्यू 1 मुल्तानसिंह, पी.डब्ल्यू 2 ताराराम के साक्ष्य कलमबद्ध किये गये। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 ए बैचाननामा भागीरथ बहक ताराराम वगैराह दिनांक 21.02.2012, प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 828 ग्राम रियॉ के प्रदर्शित करवाये गये।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने अपने साक्ष्य में वादपत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति भागीरथ ने दिनांक 21.02.2012 को वादीगण के पक्ष में बैचाननामा तहरीर व तकमील किया। वादीगण की उक्त साक्ष्य का प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डन नही किया गया है एवं न ही कोई जवाबदावा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

किया गया। जिस पर वादीगण की साक्ष्य अखण्डित रही है। अतः वादीगण के वादपत्र तथा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से वादीगण यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति भागीरथ पुत्र परसराम जाति साद निवासी रियॉ ने वादीगण के पक्ष में बैचाननामा निष्पादित किया व भूमि का कब्जा सुपुर्द किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को भूमि की कीमत भी अदा की है तथा खरीदसुदा भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण भूमि के खरीद के आधार पर अपनी खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रियॉ तहसील पीपाड़शहर की भूमि खसरा नम्बर 828 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में से 4 बीघा (यानि 0.6475) की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 21.02.2012 जरिये पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 349, पृष्ठ संख्या 194 के क्रम संख्या 2012000737 के आधार पर वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा अवैध नामान्तरकरण संख्या 3034 दिनांक 21.01.2019 वादीगण के हितो तक आंशिक निरस्त किया जाता है व तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.09.2020 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमे–आम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned with CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.**

ताराराम वगैरा बनाम रामनिवास वगैरा

दावा बाबत **88, आर टी एक्ट** राजस्व मूल वाद संख्या **43/2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **गणपतलाल चौधरी** मनजानिव मुदई....., मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रियॉ तहसील पीपाड़शहर की भूमि खसरा नम्बर 828 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में से 4 बीघा (यानि 0.6475) की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 21.02.2012 जरिये पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 349, पृष्ठ संख्या 194 के क्रम संख्या 2012000737 के आधार पर वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा अवैध नामान्तरकरण संख्या 3034 दिनांक 21.01.2019 वादीगण के हितो तक आंशिक निरस्त किया जाता है व तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। **इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो मुर्तिब हो ।**

लीज .....शून्य .....मुवलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.09.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
ओहदा.....

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

Scanned with CamScanner